भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **561** जिसका उत्तर

गुरूवार, **22 जुलाई**, 2021/31 आषाढ़, 1943 (शक) को दिया जाना है

कंटेनर यार्ड की स्थापना

†561. श्री मोहनभाई कुंडारिया:

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निजी कंपनियों द्वारा मोरबी में खाली कंटेनर यार्ड और सर्विसिंग केंद्र (आईसीडी/सीएफएस को छोड़कर) की स्थापना के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो मोरबी में ऐसे खाली कंटेनर यार्ड और सर्विसिंग सेंटर (आईसीडी/ओपीएस को छोड़कर) की स्थापना के लिए निर्धारित मानदंडों को ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क): जी, हां। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को मोरबी, गुजरात में खाली कंटेनर यार्ड और सर्विसिंग केंद्र को स्थापित करने के लिए एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ख), (ग) और (घ): इस मामले पर लॉजिस्टिक प्रभाग, वाणिज्य मंत्रालय के परामर्श से विचार किया गया है, जिन्होंने सूचित किया है कि उन्हें खाली कंटेनर यार्ड और सर्विस सेंटर की स्थापना के लिए मानदंडों को निर्धारित करने का अधिदेश नहीं है। हालांकि, उनका मत है कि इस तरह की सुविधाओं से स्टॉक का इष्टतम उपयोग होगा और लॉजिस्टिक लागत में समग्र कमी आएगी।

*****